न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–195 / 2017
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम संतोष कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
24/01/2019	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 1627 / गो0, दिनांक 05.10.2017 से प्राप्त सिमरी थाना कांड संख्या–100 / 17 दिनांक 26.08.2017 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण जब्त वाहन (1) मारूति 800 पंजीयन सं0–DL4CK-1386 (2) हीरो ग्लेमर मोटरसाईकिल नं0– BR06AX-7556 (3) स्पलैण्डर प्रो बिना नम्बर का मोटरसाईकिल (चेचिस नं0–MBLHAR09XHHE00330) को राज्यात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। अभिलेख अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त थाना कांड में जब्त वाहन दो मोटरसाईकिल (1) हीरो ग्लेमर नं0–BR06AX-7556 (2) स्पलैण्डर प्रो बिना नम्बर का (चेचिस नं0–MBLHAR09XHHE00330) को राज्यसात् करने हेतु दिनांक 16.03.2018 को आदेश पारित है। इसी क्रम में विपक्षी स्पलैण्डर प्रो बिना नम्बर का (चेचिस नं0–MBLHAR09XHHE00330) के वाहन स्वामी अशोक कुमार उर्फ अशोक राम तथा हीरो ग्लेमर मोटरसाईकिल नं0–BR06AX-7556 के वाहन स्वामी राजेश राय की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–14727 / 18 में दिनांक 19.12.18 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन एवं वाहन स्वामित्व से संबंधित कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2018 को निरस्त किया गया है तथा जब्त वाहन को विमुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–14727 / 18 में दिनांक 19.12.18 के आदेश के आलोक में सिमरी थाना कांड सं0–100 / 17 में जब्त वाहन (1) हीरो ग्लेमर	

मोटरसाईकिल नं0–BR06AX-7556 (2) स्पलैण्डर प्रो बिना नम्बर का मोटरसाईकिल (चेचिस नं0–MBLHAR09XHHE00330) जिसका निबंधन सं0–BR06BG-5282 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति एवं वाहन स्वामी द्वारा दाखिल स्वामित्व से संबंधित कागजात की छायाप्रति के साथ थानाध्यक्ष, सिमरी थाना को वाहन विमुक्ति हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।